

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-प्रशि0/जीएनएम/2010/2078

दिनांक:- 22-10-10

-परिपत्र-

निजी नर्सिंग स्कूल्स में राजकीय कोटे की सीटों पर प्रथम काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग 27.10.10 से 29.10.10 तक निर्धारित है तथा निजी नर्सिंग स्कूल्स से उनके यहाँ प्रथम काउंसलिंग से प्रवेशित छात्रों में से उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई थी। लेकिन ज्यादातर निजी नर्सिंग स्कूल्स ने यह सूचना नहीं भिजवाई है। अतः ऐसे निजी नर्सिंग स्कूल्स का ध्यानाकर्षित कर लेख है कि वे उनके यहाँ उपस्थिति देने वाले छात्रों की सूची दिनांक 25.10.10 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दे अन्यथा ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण यदि किसी नर्सिंग स्कूल की सीटें रिक्त रहेगी तो उसके लिये ऐसी संस्था का स्वयं का दायित्व होगा।

(बी.के. दोसी)

अति० निदेशक(प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज० जयपुर।

क्रमांक:-प्रशि0/जीएनएम/2010/2078

दिनांक:- 22-10-10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, आरएनसी जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना आपके स्तर से भी कराई जावे।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समाचार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
7. अध्यक्ष/सचिव प्राईवेट फ़ैडरेशन नर्सिंग स्कूल्स राज० जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना आपके स्तर से भी कराई जावे।
8. समस्त संबधित निजी नर्सिंग स्कूल्स को पालनार्थ।
9. प्रभारी सर्वक कक्ष मु० को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(बी.के. दोसी)

अति० निदेशक(प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज० जयपुर।